न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12 / 201 / 2021

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांक: 2021 / 482

अपीलार्थी

श्री सत्यवीर यादव पुत्र श्री तुल्लाराम,
ग्राम–शिवदानसिंहपुरा, पोस्ट–खोहर,
तहसील–बहरोड, जिला–अलवर (राज.)–301709

बनाम

प्रत्यर्थी

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

प्रवेश तिथि :: 10.11.2021

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 06.12.2021

1. उभयपक्ष अनुपस्थित, प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 16.09.2021 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर पूर्व में दिनांकः 11.08.2021 को प्रस्तुत शिकायत के परिप्रेक्ष्य में की गई कार्यवाही व जॉच करने वाले अधिकारी का पद और नाम संबंधी 02 बिन्दुओं पर सूचना / प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विहित समयावधि में अपीलार्थी को किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण पत्र दिनांकः 08.01.2021 (इस न्यायालय को दिनांकः 09.11.21 को प्राप्त) के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया।
6. प्रत्यर्थी की ओर से प्राप्त जवाब का परीक्षण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा पत्रांकः 2114 दिनांकः 29.11.21 के माध्यम से प्रभारी अधिकारी सतर्कता प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट अलवर के पत्रांकः 2415 दिनांकः 25.11.21 के माध्यम से प्राप्त सूचना अपीलार्थी को प्रेषित करते हुए इस न्यायालय को प्रति प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार प्रश्नगत आर.टी.आई. अपील अंतर्गत अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 16.09.21 के परिप्रेक्ष्य में प्रभारी अधिकारी सतर्कता प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट अलवर द्वारा लोक सूचना अधिकारी, कलक्ट्रेट अलवर को की गई कार्यवाही से विलम्ब से अवगत कराया गया है जो उचित नहीं है।
7. तथापि अपीलार्थी को इस लोक प्राधिकरण अंतर्गत वांछित सूचना से अवगत कराया जा चुका है। उक्त आलोक में **अपील अस्वीकार की जाकर खारिज** की जाती है। साथ ही प्रभारी अधिकारी, सतर्कता प्रकोष्ठ, कलक्ट्रेट, अलवर को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में RTI आवेदनों के परिप्रेक्ष्य में **अतित्वरित सूचना प्रेषण** की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
8. आदेश की प्रति उभय पक्ष के साथ–साथ प्रभारी अधिकारी, सतर्कता प्रकोष्ठ, कलक्ट्रेट, अलवर को भी प्रेषित हो।
9. आज दिनांकः 06.12.2021 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया। ।

(नन्नूमल पहाड़िया)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर